

राजिका सं०-७ / बजाट -४६-३६ / २०२४-२५ → ४६३ (४)  
बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ल०० एवं ह०),  
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना।

द्वारा:- वित्त विभाग।

पटना, दिनांक— ०३/०३/२०२५

**विषय:-** बेगूसराय जिलान्तर्गत बखरी में 50 शैय्या के नये अनुमंडलीय अस्पताल के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० 22,19,50,000/- (रूपये बाईस करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना के पत्रा�क--३७७३, दिनांक--०२.०८.२०२४ द्वारा बेगूसराय जिलान्तर्गत बखरी में 50 शैय्या के नये अनुमंडलीय अस्पताल के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० 22,19,50,000/- (रूपये बाईस करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

२-- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना (BMSICI.) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगा:-

- (i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी सपुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नहीं कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।
- (ii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।
- (iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।
- (iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। भवन निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की ही होगी। सिविल सर्जन एवं प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।
- (v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। भवन निर्माण संबंधी कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की होगी।
- (vi) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय। तदक्रम में निगम द्वारा भी भवन निर्माण संबंधी छ. मासिक प्रगति से विभाग को अवगत कराया जाएगा, जबतक भवन निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाय।



(vii) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत सरचना निगम, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

3— यह कार्य गांग संख्या—20 के अन्तर्गत, गुरुव्य शीर्ष—4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपगुरुव्य शीर्ष—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, लघु शीर्ष—110—अस्पताल तथा औषधालय उपशीर्ष—0113—जिला एवं अनुगड़लीय अस्पताल भवनों का निर्माण, जीर्णोद्धार विपत्र कोड—20-4210011100113, विषय शीर्ष—(53—01) गुरुव्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलगीय होगा।

4— इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे।

5— अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी०एल० एकाउन्ट सं०—PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID----- मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

6— बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत सरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे रासमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

7— राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561 वि०(2), दिनांक—17.04.98, 8543 वि०(2), दिनांक—27.11.2007, 3758/वि०, दिनांक—31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक—03.12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

8— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

9— प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक—05.02.2025 की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापांक—410(7), दिनांक—05.02.2025 में स्वीकृति प्राप्त है।


10— प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11— प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय उप—मुख्य (वित्त) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

12— यह मात्र स्वीकृत्यादेश है।

13— संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(रैकेश कुमार)  
सरकार के अपर सचिव  


ज्ञापक—

463 (४)

/स्वा०, पटना, दिनांक— ०३/०३ / 2025

**प्रतिलिपि**—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत संरचना निगम लिं०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाए, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/असैनिक शाल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूराराय/प्रगारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बखरी, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

**प्रतिलिपि**—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशास्त्र पदाधिकारी, प्रशास्त्रा—७, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार को अपर सचिव  
*[Signature]*